भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

87AE 681956

यह ... पेपर श्री होती सिंह विक्रय समिति

... म० 42764

जिला ... ... सं० ...

... सं० ... 23-24

सत्य प्रतिलिपि

फो० म०/म०/फाईल सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसा० चिट्स तथा चिट्स, मेरठ
09/04/24

श्री होती सिंह शिक्षा समिति

ग्राम नारायणपुर बासंका, पोस्ट धौलाना, जिला– हापुड।

प्रबन्धसमिति की सूची वर्ष :– 2023–2024

क्र0 सं0	नाम व पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा	आवास विकास कालोनी, बुलन्दशहर।	अध्यक्ष	कृषि/ व्यापार
2.	श्रीमती उषा राणा पत्नी श्री ललित कुमार	ग्राम नारायणपुर बांसका, पोस्ट धौलाना, जिला– हापुड।	उपाध्यक्ष	गृहणी
3.	श्री अमित कुमार राणा पुत्र श्री कमल सिंह	ग्राम नारायणपुर बांसका, पोस्ट धौलाना, जिला– हापुड।	प्रबन्धक	कृषि/ व्यापार
4.	श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री सूबेदार सिंह	ग्राम राडधना, सरधना, जिला– मेरठ।	उपप्रबन्धक	कृषि
5.	श्री ललित कुमार पुत्र श्री कमल सिंह	ग्राम नारायणपुर बांसका, पोस्ट धौलाना, जिला– हापुड।	कोषाध्यक्ष	कृषि/ व्यापार
6.	श्री रमेश सिंह पुत्र श्री ब्रहम सिंह	ग्राम कपूरपुर, पोस्ट धौलाना, जिला– हापुड।	सदस्य	कृषि/ व्यापार
7.	मौ0 आकिल पुत्र श्री अहमद अली	ग्राम नारायणपुर बांसका, पोस्ट धौलाना, जिला– हापुड।	सदस्य	कृषि/ व्यापार
8.	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री लीला सिंह	ग्राम सिवाया, पोस्ट धौलाना, जिला– हापुड।	सदस्य	कृषि/ व्यापार
9.	श्री अजीत कुमार पुत्र श्री रामवीर सिंह	ग्राम थौरा, जेवर, जिला– गौतमबुद्धनगर।	सदस्य	कृषि

यह प्रपत्र सो0 रजि0 अधि0 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत पत्रावली पर उपलब्ध है।

यह प्रपत्र सो0 रजि0 अधि0 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत पत्रावली पर उपलब्ध है।

Lalit Kumar

अजीत सिंह

R Kumar

Amit Kumar

सत्य प्रतिलिपि

फो० प० [illegible] / फर्मस सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
09/04/24

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 80AA 642784

[illegible] श्री [illegible]

जिला... [illegible] ...[illegible] 42764

संशोधित नियमावली

सत्य प्रतिलिपि

09/5/10

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

80AA 642783

श्री शांति सिंह शिक्षा समिति

ग्रा० बागपत   रजि. सं. [illegible]

नवीनीकरण प्रमाण पत्र

सत्य प्रतिलिपि

09/4/10

वरिष्ठ सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
मेरठ

संशोधित नियमावली

1– संस्था का नाम : श्री होती सिंह शिक्षा समिति।

2– संस्था का पूरा पता : ग्राम नाराणपुर बासका, पो0 धौलाना, जिला– गाजियाबाद।

3– संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त मेरठ मण्डल रहेगा।

4– संस्था के उद्देश्य : संस्था की स्मृति–पत्र के अनुसार ही सीमित होगे।

5– सदस्यों के वर्ग :–

1– आजीवन सदस्य :–

कोई भी व्यक्ति रूपये 1000/– रू0 अधिक दान देकर संस्था की सदस्यता हेतु आवेदन कर सकता है। जो संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जा सकता है।

2– साधारण सदस्य :–

कोई भी व्यक्ति रूपये 200/– वार्षिक सदस्यता शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा करने पर वह साधारण सभ का सदस्य बनाया जा सकता है।

कार्यालय उप निबन्धक समितियाँ उ0प्र0 सत्यमेव जयते मेरठ क्षेत्र, मेरठ

6– संस्था की सदस्यता से पृथ्थकीकरण :–

अ– सदस्य द्वारा स्वंय त्याग–पत्र दिये जाने पर।

ब– सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।

स– सदस्य की आयु 18 वर्ष से कम पाये जाने पर।

द– सदस्य द्वारा संस्था विरोधी कार्य करते हुए पकडे जाने पर।

य– सदस्यता शुल्क समय से न अदा करने पर।

र– न्यायालय द्वारा सजा दिये जाने अथवा दिवालिया होने पर।

ल– आचरण भ्रष्ट होने व पागल होने पर।

व– संस्था की लगातार तीन मीटिगों में अनुपस्थिति रहने पर।

7– संस्था के अंग :– क– साधारण सभा।

ख– प्रबन्धकाारिणी समिति।

8– साधारण सभा का विस्तृत रूप :–

1–गठन :– संस्था के आजीवन एवं साधारण सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

Devendra अनिलकुमार Lalit kumar

प्रदीप R. Sharma

सत्य प्रतिलिपि 09/4/10

वरिष्ठ सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
मेरठ

2—बैठकें :— संस्था की साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष मे एक बार एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

3—सूचना :— संस्था की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व डाक द्वारा तथा विशेष बैठक के लिये सूचना 3 दिन पूर्व डाक अथवा स्पेशल मैजेन्जर अथवा दस्ती अध्यक्ष के हस्ताक्षरित पत्र द्वारा दी जायेगी।

4—गणपूर्ति :— साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 की उपस्थिति ही गणपूर्ति होगी।

5— विशेष वार्षिक अधिवेशन :—

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन हर वर्ष सुविधानुसार हुआ करेगा।

6—साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :—

अ— प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना ।

ब— रिक्त स्थान की पूर्ति करना।

स— रिक्त स्थान की पूर्ति करना।

द— आय व्यय बजट पास करना।

य— संस्था की उन्नति में कार्य करना।

कार्यालय उप निबन्धक समितियाँ उ०प्र० सत्यमेव जयते मेरठ क्षेत्र, मेरठ

9 प्रबन्धकारिणी का विस्तृत रूप :—

1—गठन :— प्रत्येक वर्ष माह फरवरी के अन्त तक साधारण सभा द्वारा चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कर प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा।

2—बैठकें :— साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष/प्रबन्धक के निर्देशानुसार बुलाई जा सकती है।

3—सूचना :— सामान्य बैठक के लिये सूचना 15 दिन पूर्व डाक द्वारा तथा विशेष बैठक के लिये सूचना 24 घंटे स्पेशल मैसेन्जर अथवा दस्ती सचिव द्वारा दी जायेगी।

4—कोरम :— कुल संख्या का 2/3 होगा।

5—कार्यकाल :— गठन की तिथि से पांच वर्ष होगा।

6—रिक्त पद की पूर्ति :—

शेष समय के लिये साधारण सभा से कर ली जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि
05/4/10
वरिष्ठ सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
मेरठ

Devendra आनंद कुमार प्रदीप Lalit kumar

7—प्रबन्धकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य :—

क— संस्था का प्रबन्ध संचालन करना।

ख— आय व्यय बजट तैयार कर साधारण सभा द्वारा पास कराना।

ग— अन्य वे समस्त कार्य जो संस्था उन्नति में सहायक हो।

10— प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारी :—

A— अध्यक्ष	एक
B— उपाध्यक्ष	एक
C— प्रबन्धक	एक
D— उपप्रबन्धक	एक
E— कोषाध्यक्ष	एक
F— सदस्य	

11— प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :—

A— अध्यक्ष :—

1— समिति की आम सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।

2— समिति के हित का कार्य की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा कराना।

3— समिति के उद्देश्यों की पूर्ति करना।

4— अध्यक्ष अपने विवेक से 1000/—रू0 व्यय करने की स्वीकृति देने का अधिकारी होगा।

B— उपाध्यक्ष :—

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपाध्यक्ष को निहित होंगे।

कार्यालय उप निबन्धक समितियाँ उ०प्र० सत्यमेव जयते मेरठ क्षेत्र, मेरठ

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
मेरठ

C– प्रबन्धक :–

1– आम सभा व प्रबन्धकारिणी की बैठकों को कार्यवाही पुस्तिका में अन्तिक करना।

2– समिति से होने वाले पत्र व्यवहार को करना।

3– संस्था के आय व्यय की स्वीकृति हेतु आम सभा के समक्ष रखना।

4– संस्था के समस्त लेखों पर हस्ताक्षर करना और प्रमाणित करना।

5– आम सभा तथा प्रबन्धककारिणी समिति की बैठके आवश्यकतानुसार बुलाना और ऐसी बैठकों के ठीक अभिलेख रखना।

6– संस्था की पूंजी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखना और अपने स्तर से रू0 5000/– व्यय करने हेतु अध्यक्ष की अनुमति से व्यय करने की अधिकारी होगा।

7– संस्था के विरूद्ध एवं उसके पक्ष में होने वाली समस्त कानूनी गैर कानूनी कार्यवाही का संचालन करना।

D– उपप्रबन्धक :– प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपप्रबन्धक को निहित होंगे।

E– कोषाध्यक्ष :–

1– संस्था का संचालन करना और आम सभा द्वारा बनाये गये निमयों, उपनियमों का पालन करना।

2– प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत हिसाब किताब तथा प्राप्त रिपोर्ट बजट स्वीकार करना।

3– संस्था के हित के लिए योजना बनाना तथा क्रियान्वित करना।

कार्यालय उप निबन्धक समितियाँ उ०प्र० सत्यमेव जयते मेरठ क्षेत्र, मेरठ

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
मेरठ

12– संस्था का कोष :–

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम कोषाध्यक्ष / प्रबन्धक के संयुकत हस्ताक्षरों से खाता खोला जायेगा जिसको जमा करने का अधिकार कोषाध्यक्ष को होगा परन्तु निकालने एवं व्यय करने का अधिकार होगा।

13– कानूनी कार्यवाही :–

संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही प्रबन्धक के संचालन में होगी।

14– आडिट :–

आय व्यय निरीक्षण या आडिट मनोनीत सदस्य द्वारा कराया गया आडिट ही मान्य होगा। जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

15– नियमो में परिवर्तन :–

नियमावली संशोधन परिवहन का अधिकार साधारण सभा को 2/3 के बहुमत से होगा, नियमावली के बैठक की गणपूर्ति 2/3 की अनिवार्य है।

16– अभिलेख :–

सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा, लेजर, कैश बुक रसीद बुक आदि जो भी आवश्यक हो, रखे जायेंगे।

17– विघटन :–

संस्था की विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

18– प्रतिबन्धों की बाध्यता :–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

कार्यालय उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उ0प्र0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ — सत्यमेव जयते

सत्य प्रतिलिपि
05/4/13
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स मेरठ

Dharmendra अनिल कुमार प्रदीप Lalit Kumar

4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/ कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
10. उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

दिनांक–

सत्यप्रतिलिपि।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
मेरठ

कार्यालय उप निबन्धक समितियाँ उ0प्र0
सत्यमेव जयते
★ मेरठ क्षेत्र, मेरठ ★

फाईल सं0 — 4.2764 M

संस्था का नाम होती सिंह शिक्षा समिति [illegible]

1. स्मृति पत्र तथा नियमावली
2. नियामवली
आज दिनाँक 09-4-2010
को सन् 1860 मे प्रमाणित है अन्तर्गत
निबन्धित की गई ।

उप निबन्धक समितियाँ
उ0 प्र0 मेरठ

प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 02332/2022-2023 दिनांक 06/01/2023

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/HPU/16242/2022-2023 पत्रावली संख्या:42764-M दिनाक:2002-2003

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **श्री होती सिंह शिक्षा समिति, ग्राम नारायणपुर बाराका, पोस्ट धौलाना, जिला हापुड़, हापुड़, 245301** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 551 दिनाक-26/08/2002 को दिनाक-26/08/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(Varun Khare)
1437D6B6568A1D3C596B909221411C9082D8FA70
Date: 06/01/2023 7:03:08 PM, Location: Meerut

जारी करने का दिनांक-06/01/2023

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।